राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

कृषि विभाग राजस्थान DOA

क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ डिग्गी/2025–26/ 14534-14672 दिनांक : 24/03/25

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर

विषयः– वर्ष 2025–26 में राज्य योजना/पीडीएमसी (ओआई) अन्तर्गत डिग्गी निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु विभागीय दिशा–निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत नहरी जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने लिए वर्ष 2025–2026 में डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं:–

(अ) <u>कृषकों के लिए निर्देश</u> :–

1. अनुदान के लिये पात्रता :–

1.1 राज्य के समस्त नहरी क्षेत्र, जहां सिंचाई बारी (बाराबंदी) स्वीकृत हो, वहाँ के कृषक अनुदान के पात्र होंगे।

1.2 जो कृषक सिंचित क्षेत्र में राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि का स्वामित्व रखते हैं तथा सामान्य या विशिष्ट आवंटी, गैर खातेदार हैं, अनुदान के पात्र होंगे।

1.3 आवेदनकर्ता कृषक के पास न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर (आधा हैक्टयर) सिंचित कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है।

1.4 डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में अनुदान से लाभान्वित कृषक पुनः डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान हेतु पात्र नहीं होगें। सीमित लक्ष्यों के मध्यनजर एक परिवार (जनाधार कार्ड धारक) को एक ही डिग्गी निर्माण पर अनुदान दिया जाएगा।

1.5 कृषकों द्वारा डिग्गी निर्माण के साथ स्प्रिंकलर/ड्रिप/माईक्रो स्प्रिंकलर सयंत्र स्थापित किया जाना आवश्यक है। स्थापित सयंत्र पर अनुदान भौतिक सत्यापन उपरान्त माईक्रो इर्रीगेशन योजना के तहत देय होगा। क्रय संयंत्र के बिल की सत्यापित प्रति डिग्गी के आवेदन के साथ भी संलग्न की जाये। यदि कृषक के पास स्प्रिंकलर/ड्रिप/माईक्रो स्प्रिंकलर सयंत्र आवेदित वर्ष से पूर्व में क्रय किया गया है तथा चालू हालत में हो, मौका निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर उन डिग्गी की पत्रावलियों पर भी अनुदान देय होगा।

2. अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज :–

2.1 ऑन–लाईन किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ कृषक को नवीनतम जमाबन्दी की नकल जो कि छः माह से अधिक पुरानी न हो/राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित प्रति एवं जिस खसरे में डिग्गी बनानी है, उसका राजस्व विभाग द्वारा जारी नक्शा अपलोड करना होगा।

2.2 कृषक को अनुदान हेतु जनाधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।

2.3 जिन कृषकों का जन आधार पर लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी में पंजीयन है, उनको [illegible] लघु एवं सीमान्त कृषक मानते हुए अनुदान हेतु पात्र समझा जावें। [illegible] जनाधार [illegible] लघु/सीमान्त कृषक

Signature valid
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.24 18:18:32 IST
Reason: Approved

के पंजीयन की सुविधा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु/सीमान्त का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, **किन्तु जन–आधार में लघु/सीमान्त श्रेणी पंजीयन होने अथवा सक्षम स्तर से लघु/सीमान्त श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद कृषक की लघु/सीमान्त श्रेणी तभी मान्य होगी जब सलंग्न जमाबन्दी के दस्तावेंजों में कृषक के हिस्से में जमीन लघु/सीमान्त श्रेणी की सीमा में हो। संलग्न दस्तावेजों के अनुसार लघ ु/सीमान्त श्रेणी में होने पर ही इसका लाभ देय होगा।**

3. आवेदन प्रक्रिया :–

3.1 कृषक नजदीकी ई मित्र केन्द्र पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर किसान/नागरिक लॉग इन पर जाकर जनाधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकेगा।

3.2 आवेदन पत्र को ई–प्रपत्र (E-Form) में भरा जावेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (scan & upload) करने होंगे।

3.3 आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन प्राप्त होगी एवं आधार में पंजीकृत मोबाईल पर एसएमएस प्राप्त होगा।

3.4 आवेदन पत्र की Online Scrutiny के समय आवेदन में कोई कमी पायी जाने पर आवेदक को आधार से जुडे मोबाईल नम्बर पर इस बाबत् एसएमएस भेजा जाएगा। आवेदक को 15 दिवस के अन्दर राज किसान साथी पोर्टल पर कमी की पूर्ति करनी होगी अन्यथा 15 दिवस के बाद आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आवेदन निरस्त होने के बाद पुनः बहाल नहीं किया जाएगा।

3.5 आवेदनकर्ता आवेदन के पश्चात् राज किसान सुविधा मोबाईल एप पर आवेदन की स्थिति/प्रगति की जानकारी ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं।

3.6 किसी भी स्थिति में ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें।

4. अनुदान :–

डिग्गी का सांकेतिक साईज वर्ष 2025–26 (अनुदान राशि की गणना सिंचाई जल की भराव क्षमता के अनुरूप इकाई लागत के आधार पर की जावेगी)

पक्की डिग्गीः– सीमेन्ट, ईंट/स्टोन कंकरीट, बजरी से निर्मित

क्र. सं.	सांकेतिक आकार (1:1.5 ढ़लान के आधार पर) (लम्बाई/ चौड़ाई/ गहराई (मीटर में)	भराव क्षमता (लाख लीटर में)	राज्य योजना (राशि रू. लाख में)		
			समस्त कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अनुदान	लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय अतिरिक्त अनुदान (10%)	लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय कुल अनुदान
1	16.5 X 16.5X 3 7.5 X 7.5	4.00	2.10	0.28	2.38
2	21 X 21X 3 12 X12	8.00	3.00	0.40	3.40
3	25 X 25X 3 16 X 16	12.00	3.00	0.40	3.40
4	28 X 28X 3 19 X 19	16.00	3.00	0.40	3.40
5	30.5 X 30.5X 3 21.5 X 21.5	20.00	3.00	0.40	3.40

प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गीः–प्लास्टिक शीट आई.एस.आई. मार्का एलडीपीई 500 माइक्रोन या अधिक एम.एल.सी.एल.यू.वी. प्लास्टिक शीट या एचडीपीई प्लास्टिक शीट बी.आई.एस. गुणवत्ता 500

Signature valid
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.24 18:18:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14325889

माइक्रोन या अधिक बी.आई.एस. नम्बरः BIS 10889:2004, BIS- 2508:2016 & BIS-15351:2015, BIS- 16352:2015 हैं

क्र. सं.	सांकेतिक आकार (1:1.5 ढलान के आधार पर) (लम्बाई / चौडाई / गहराई (मीटर में)	भराव क्षमता (लाख लीटर में)	राज्य योजना (राशि रू. लाख में)		
			समस्त कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अनुदान	लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय अतिरिक्त अनुदान (10%)	लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय कुल अनुदान
1	16.5 X 16.5X 3 7.5 X 7.5	4.00	0.60	0.08	0.68
2	21 X 21X 3 12 X12	8.00	1.20	0.16	1.36
3	25 X 25X 3 16 X 16	12.00	1.80	0.24	2.04
4	28 X 28X 3 19 X 19	16.00	2.40	0.32	2.72
5	30.5 X 30.5X 3 21.5 X 21.5	20.00	3.00	0.40	3.40

अनुदान सीमाः— भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पक्की डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रुपयें 350/— प्रति घन मीटर **भराव क्षमता** तथा प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रुपयें 100/— प्रति घन मीटर **भराव क्षमता** अथवा अधिकतम रूपये 2.00 लाख, जो भी कम हो अनुदान का प्रावधान है। पक्की अथवा प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर टॉप—अप अनुदान इकाई लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू. 1.00 लाख, जो भी कम हो, **राज्य योजना से देय होगा।** लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषकों को इकाई लागत का 10 प्रतिशत या राशि रूपये 40 हजार अतिरिक्त अनुदान राज्य योजना से देय होगा।

भारत सरकार द्वारा RKVY PDMC-OI योजना में डिग्गी निर्माण कार्यक्रमों को शामिल करने पर लागत ईकाई का 50 प्रतिशत अनुदान PDMC-OI योजना के माध्यम से तथा शेष अतिरिक्त/टॉपअप अनुदान राज्य योजना मद से देय होगा, अन्यथा सम्पूर्ण अनुदान राशि का भुगतान राज्य योजना मद से किया जाएगा।

कृषक द्वारा प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी निर्माण करवाये जाने पर अनुदान भुगतान डिग्गी निर्माण कार्य पूर्ण होने पर एक साथ एक ही किश्त में किया जायेगा।

5. विभागीय मापदण्ड एवं प्रकिया :—

5.1 अनुदान के लिये डिग्गी की न्यूनतम भराव क्षमता 4.00 लाख लीटर की होनी आवश्यक है।

5.2 राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज—6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के बिंदु संख्या 4 के अनुसार मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में कृषि विभाग की योजनानुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त करने के अधिकारी होने के क्रम में मंदिर के नाम खेती की जमीन पर डिग्गी निर्माण करने पर निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में अनुदान के लिये पात्र होगें।

5.3 कृषकों द्वारा डिग्गी का निर्माण अपनी सुविधानुसार क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार कराये जाने पर नियमानुसार अनुदान देय होगा। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि डिग्गी में नहरी पानी सुगमता से भरा जा सके।

Signature valid
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.24 18:18:32 IST
Reason: Approved

5.4 डिग्गी निर्माण का कार्य स्वंय कृषक की देखरेख में कराया जाता है अतः डिग्गी निर्माण के लिए सीमेन्ट/ग्रिट/ईंट/स्टोन कंकरीट/बजरी/प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करने पर ही अनुदान देय होगा।

प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी से तात्पर्य मिट्टी की खुदाई उपरान्त केवल प्लास्टिक की शीट का बिछाया जाना हैं। प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी में काम में ली जाने वाली प्लास्टिक शीट आई.एस. आई. मार्का एलडीपीई 500 माइक्रोन या अधिक एल.सी.एल.यू.वी. प्लास्टिक शीट या एचडीपीई प्लास्टिक शीट बी आई एस गुणवत्ता न्यूनतम 500 माइक्रोन जिसका बी.आई.एस. नम्बरः BIS 10889:2004, BIS- 2508:2016 & BIS- 15351:2015, BIS- 16352:2015 है, (कृषक स्वेच्छा के आधार पर) का उपयोग अनिवार्य हैं।

5.5 प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी निर्माण अन्तर्गत कृषक द्वारा कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक/विक्रेता से बी.आई.एस मार्का प्लास्टिक शीट क्रय का GST बिल प्राप्त कर खुदाई उपरांत डिग्गी में सफलता पूर्वक बिछाई जाने पर ही कृषक को अनुदान देय होगा।

5.6 कृषक द्वारा आई.एस.आई. प्लास्टिक एल.डी.पी.ई./एच.डी.पी.ई. शीट क्रय का विक्रेता से जारी मूल बिल पूर्ण विवरण सहित एवं विक्रेता को निर्माता से प्राप्त अधिकृत विक्रेता होने के अधिकार पत्र की छाया प्रति भी बिल के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

5.7 डिग्गी बनने के उपरान्त लगाये जाने वाले बोर्ड पर चेतावनी हेतु लाल रंग से "सावधान/खतरा, गड्ढा गहरा है बच्चों को दूर रखें" का चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित कराया जाये ताकि डिग्गी से जनधन/पशुधन को होने वाली हानि से रोका जा सके।

5.8 सुरक्षा की दृष्टि से डिग्गी के चारों तरफ 2 फीट ऊँची, प्लास्तर की हुई दीवार के ऊपर जाली अथवा कांटेदार तार लगाए जाए या दीवार बनाई जाकर डिग्गी में नीचे उतरने हेतु सीढ़ीयां बनाया जाना सुनिश्चित करें। प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी के निर्माण में नीचे उतरने/ऊपर चढ़ने हेतु कृषक की सुविधानुसार प्लास्टिक रस्सी/लकड़ी/लोहे की सीढ़ीयां बना सकता है। उपरोक्त सीढ़ीयां बनाने पर सुरक्षा से संबंधित समस्त जिम्मेदारी लाभार्थी कृषक की होगी। डिग्गी के निर्माण उपरांत डूबकर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव हेतु चारों कोनों पर चार प्लास्टिक की मजबूत रस्सियां/लोहे की चेन लगाने के उपरांत ही अनुदान जारी किया जा सकेगा।

5.9 डिग्गी निर्माण पूर्ण होने पर कृषक द्वारा डिग्गी की प्लास्तर की हुई दीवार पर 2 X 3 फीट आकार के बोर्ड पर निम्नानुसार विवरण का अंकन प्लास्टिक पेन्ट से कराकर प्रदर्शित किया जाये :—

बजट घोषणा वर्ष 2025—26

कृषि विभाग राजस्थान सरकार की अनुदान सहायता से निर्मित डिग्गी

1. योजना का नाम .... वर्ष ....
2. लाभान्वित कृषक श्री .... पुत्र श्री.. मोबाईल नम्बर .... ग्राम...................................... पंचायत .... पंचायत समिति...
3. स्वीकृत अनुदान राशि...................... रूपये
4. डिग्गी का आकार (लम्बाईxचौड़ाईxगहराई) ....
5. भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम .... व मोबाईल नम्बर.............................
6. नाम कार्यालय ....

5.10 कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त डिग्गी के रख-रखाव व मरम्मत की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी।

Signature valid
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.24 18:18:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14325889

(ब) विभागीय कार्यालयों के लिए निर्देश :–

6 आवेदन पत्रों का निस्तारणः–

6.1 सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र होंगे, जिसमें आवंटित कुल लक्ष्यों में से, अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत एवं लघु/सीमान्त कृषकों को 40 प्रतिशत अनिवार्यतः स्वीकृत किया जावे।

6.2 जिलों में 'पहले आओ – पहले पाओ' (FIFO) के आधार पर ही आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा। गत वर्ष के लम्बित आवेदन एवं चालू वर्ष में प्राप्त आवेदन वरीयता के क्रम में शामिल किये जाएगें। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा Online Scrutiny कार्यवाही की जावेगी। ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं व दिए गए प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर कृषक की पात्रता निर्धारित की जावेगी।

6.3 आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्राथमिकता सूची में कृषक का चयन होने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व यदि आवेदक कृषक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा उक्त जमीन/मुरब्बा/खसरा/चक/किला के संबंध में मृतक के स्थान पर वारिसों को प्रतिस्थापित करने हेतु वारिसों से नामान्तरण/जमाबन्दी की प्रति सहित पत्र लिया जाकर अन्य शेष वारिसों की सहमति के आधार पर किसी भी एक या एक से अधिक वारिसों के नाम संयुक्त रूप से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

6.4 ऑनलाईन आवेदन उपरांत कृषक का प्राथमिकता सूची में चयन होने में अक्सर काफी लम्बा समय लग जाता है। इस दौरान भाईयों में जमीन का बटवांरा होने या नये खाले के निर्माण होने की स्थिति में पानी की आवक का स्थान बदल जाने या अन्य विशेष परिस्थिति वश चक/खसरा न./मुरब्बा/किला न. बदल जाता है। ऐसी स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद से स्वीकृति उपरांत कृषक के नाम बदले हुए चक/खसरा/मुरब्बा/किला न. की संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी–सीएडी/ आईजीएनपी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सकेगी। इसी प्रकार यदि कृषक द्वारा पूर्व में पक्की डिग्गी निर्माण हेतु आवेदन किया है तथा अब प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण कराना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में राज किसान साथी पोर्टल में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार डिग्गी निर्माण के प्रकार में बदलाव किया जा सकता है।

6.5 यदि अपवाद स्वरूप जनाधार में कृषक की श्रेणी लघु/सीमान्त अंकित है परन्तु जमाबंदी में जमीन का स्वामित्व अधिक है तो ऐसे मामलें में परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा।

6.6 विभाग द्वारा अनुदान डिग्गी निर्माण पर दिया जाता है। डिग्गी निर्माण खुदाई हेतु 10–15 प्रतिशत श्रमिक कार्य यथासंभव नरेगा से कार्य करवाये जाये। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा अभिसरण अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियो के कियान्वयन के संबंध में कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी पत्र कंमांक प8(5) आ.कृ./ज.उ.प्र./मनरेगा/2020–21/1084–1207 दिनांक 28.01.2021 के अनुसार दिशा–निर्देशो का पालन किया जाकर कार्य पूर्ण कराये जावे। दिशा निर्देश कृषि विभाग की वेब साईट पर भी उपलब्ध है।

Signature valid
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.24 18:18:32 IST
Reason: Approved

7 प्री–वेरिफिकेशन

7.1 डिग्गी निर्माण का प्री–वेरिफिकेशन राज किसान साथी पोर्टल द्वारा आंवटित विभागीय अधिकारी/कार्मिक द्वारा किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के समय कृषक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7.2 पात्र कृषक का प्री–वेरिफिकेशन संबंधित सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सात दिवस में पूर्ण कर ऑनलाइन पत्रावली संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

7.3 डिग्गी निर्माण से पूर्व राज किसान सत्यापन एप से जियो टेगिंग कर कृषक का फोटो, खेत का नक्शा मय खसरा संख्या तथा डिग्गी बनाये जाने की लोकेशन आदि भी अंकित कर राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

7.4 डिग्गी निर्माण का प्री–वेरिफिकेशन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कृषक द्वारा आवेदित डिग्गी का स्थान किसी प्रकार के रकबा राज/जोहड़ पायतन/नहरी/खाला/ रास्ता इत्यादि क्षेत्र में किसी भी रूप से न हो, ऐसे प्रकरण में अनुदान देय नहीं होगा।

7.5 संबंधित कार्मिक/अधिकारी द्वारा प्री–वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण सजगता से किया जाए। **किसी भी आवेदन पत्रावली का निरस्तीकरण आवेदक के लिखित अनुरोध या पर्याप्त साक्ष्य/दस्तावेजों के आधार पर ही किया जावें।**

7.6 यदि भौतिक सत्यापनकर्ता को सन्देह हो कि प्रस्तावित डिग्गी का स्थान सरकारी भूमि/सिवाय चक/रास्ता/जोहड़ पायतन/नहरी/खाला इत्यादि क्षेत्र में है तो पटवारी से इस बाबत प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे। सामान्य प्रकरण में पटवारी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7.7 डिग्गी निर्माण हेतु आवेदन के समय अंकित खसरा में प्री–वेरिफिकेशन तक आवेदक की प्रार्थना पर परिवर्तन किया जा सकेगा। प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त खसरा संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

8 प्रशासनिक स्वीकृति

8.1 प्री–वेरिफिकेशन उपरान्त संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी कार्यालय अनुदान हेतु पात्र, डिग्गी निर्माण की पत्रावलियों की 15 दिवस मे कार्यवाही पूर्ण कराई जाकर कार्य कराये जाने हेतु "प्रशासनिक स्वीकृति" जारी करेंगे।

8.2 विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात यदि कृषक द्वारा 60 दिवस में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो कृषक को एसएमएस के माध्यम से अंतिम सूचना देते हुए कार्य पूर्ण किये जाने हेतु 30 दिन की मोहलत दी जा सकेगी। उक्त 30 दिवस में भी कार्य पूर्ण नहीं करने पर प्रशासनिक स्वीकृति को निरस्त माना जाएगा ताकि वरियता क्रम में आने वाले अगले कृषक की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सकें। विशेष परिस्थितियों में कृषकों के व्यापक हित में कृषि आयुक्तालय द्वारा उक्त अवधि में शिथिलता दी जा सकेगी।

8.3 वित्तीय वर्ष में जारी प्रशासनिक स्वीकृति पर कृषक द्वारा 31 मार्च 2026 तक ही कार्य पूर्ण किया जाएगा।

8.4 योजना के प्रावधान अनुसार उप जिले को आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के मध्यनजर ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे। भौतिक लक्ष्य वित्तीय सीमा तक [illegible] जा सकते है। [illegible] भी स्थिति

Signature valid
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.24 18:18:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14325889

में संबंधित कार्यालयों को आवंटित वित्तीय प्रावधानों से अधिक प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

8.5 प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात निर्मित डिग्गी पर ही अनुदान देय होगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के दिनांक से पहले निर्मित डिग्गी पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।

8.6 कार्यालय द्वारा जारी "प्रशासनिक स्वीकृति" के संबंध मे संबंधित कृषक को मोबाईल पर एस.एम.एस भेजा जायेगा। संबंधित सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भी कृषक को सूचित किया जावेगा, जिससे कृषक कार्य प्रारम्भ कर सके।

8.7 डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान हेतु सिंचित क्षेत्र विकास विभाग क्षेत्राधिकार के कृषकों के आवदेनों की प्रशासनिक स्वीकृति संबधित जिला विस्तार अधिकारी/कृषि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।

8.8 कृषक के नाम प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने अथवा कार्य पूर्ण होने/भौतिक सत्यापन के उपरांत मृत्यु होने पर कृषक के कानूनन वारिस को अनुदान राशि का भुगतान राज किसान साथी पोर्टल में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद् द्वारा किया जा सकेगा।

9 **<u>भौतिक सत्यापन</u>** :–

9.1 कृषक द्वारा डिग्गी निर्माण कार्य पूर्ण करने के बाद राज किसान सुविधा मोबाईल एप के माध्यम से अथवा कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी को कार्य पूर्ण होने की सूचना दी जायेगी, ताकि भौतिक सत्यापन किया जा सके।

9.2 कृषक द्वारा डिग्गी निर्माण के उपरान्त भौतिक सत्यापन राज किसान साथी पोर्टल द्वारा आंवटित विभागीय अधिकारी/कार्मिकों द्वारा किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के समय कृषक की उपस्थिति अनिवार्य होगी

9.3 भौतिक सत्यापन के समय सहायक कृषि अधिकारी व संबंधित कृषि पर्यवेक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.4 कृषकों द्वारा डिग्गी निर्माण कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही मान्य होगा।

9.5 डिग्गी निर्माण पूर्ण होने पर निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने जैसे दीवार/कांटेदार तार/जाली/सांकल इत्यादि लगाने तथा सूक्ष्म सिंचाई संयत्रों यथा स्प्रिंकलर/माइक्रो स्प्रिंकलर/ड्रिप आदि स्थापित कर चलाकर दिखाने पर व डिग्गी में कम से कम 2 फिट गहराई पर पानी भरकर दिखाने पर भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

9.6 भौतिक सत्यापन के दौरान संबंधित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी अनुदान हेतु पात्र कृषक के डिग्गी निर्माण का राज किसान सत्यापन एप के माध्यम से जियो–टेगिंग कर कृषक का फोटो, खेत के नक्शा मय खसरा संख्या अंकित कर अपलोड करेंगे।

9.7 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में मौके पर ही डिग्गी निर्माण हेतु कृषक को पूर्व में अनुदान नहीं दिया है, ये अंकित किया जाए।

9.8 भौतिक सत्यापन का वास्तविक उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि लाभार्थी द्वारा वास्तव में डिग्गी निर्माण कर लिया गया है तथा अनुदान का पात्र है। भौतिक सत्यापन कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी द्वारा पूर्ण उत्तरदायित्व से किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.24 18:18:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14325839

9.9 यदि भौतिक सत्यापन के समय डिग्गी का निर्माण मापदण्ड के अनुरुप नहीं है तो इसकी सूचना आवेदन कर्ता कृषक को एसएमएस के द्वारा मय कारण सहित अवगत कराया जावेगा या राज किसान सुविधा ऐप में भी कृषक देख सकेंगे।

10 <u>वित्तीय स्वीकृति</u> :–

10.1 कृषि आयुक्तालय से जिले को आवंटित निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में वर्ष 2024–25 की लम्बित देनदारियों को कम करते हुए ही वर्ष 2025–26 के लिए शेष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण उप जिला स्तर पर करते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें।

10.2 वर्ष 2024–25 की लम्बित देनदारियों का निस्तारण प्राथमिकता से करें तथा देनदारियों के लिए किसी भी स्थिति में कृषि आयुक्तालय से वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य लक्ष्यों/बजट का आवंटन नहीं किया जायेगा।

10.3 भौतिक सत्यापन में डिग्गी का निर्माण सही पाये जाने पर पत्रावली सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) /जिला विस्तार अधिकारी कार्यालय द्वारा अपने जिले के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)/ उप निदेशक कृषि (विस्तार) इ.गा.न.प. सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर के माध्यम से **संबंधित खण्ड के अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार), को वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु भेजी जायेगी।**

10.4 संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)/ उप निदेशक कृषि (विस्तार) इ.गा.न.प. सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, बीकानेर यह सुनिश्चित करेंगे कि डिग्गी निर्माण में कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जा रही है।

10.5 डिग्गी के भौतिक सत्यापन उपरान्त विभागीय दिशा–निर्देशानुसार पाये जाने पर कृषकों को अनुदान राशि का भुगतान जनाधार से जुडे खाते में ही किया जायेगा।

10.6 इ.गा.न.प. क्षेत्र में निर्माण पश्चात् भौतिक सत्यापन उपरान्त आवेदन संबंधित जिला विस्तार अधिकारी/ कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा उप निदेशक कृषि (विस्तार) इ.गा.न.प. सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर को अग्रेषित किये जाएंगे।

10.7 उप निदेशक कृषि (विस्तार) सिंचित क्षेत्र विकास, आई.जी.एन.पी., बीकानेर द्वारा डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना कराते हुए पत्रावली वित्तीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार), खण्ड बीकानेर को अग्रेषित की जायेगी। **अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार), खण्ड को इ.गा.न.प. क्षेत्र में वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है।**

11 <u>निरीक्षण</u> :–

11.1 स्वीकृत कार्यो का अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड द्वारा 2 प्रतिशत, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्/उप निदेशक सिंचित क्षेत्र विकास, इ.गा.न.प. द्वारा 5 प्रतिशत, संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा 5 प्रतिशत, कृषि अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत निरीक्षण राज किसान साथी पोर्टल पर विकसित मोड्यूल के माध्यम से किया जावेगा।

11.2 संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् प्रत्येक माह की कार्य योजना तैयार की जाकर क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों से विचार विमर्श कर निर्धारित कार्यों की समय–2 पर जांच कर प्रत्येक माह प्रगति से खण्डीय कार्यालय को अवगत करायेंगे।

Signature valid
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.24 18:18:32 IST
Reason: Approved

ajKaj Ref No.: 14325889

12 सामान्य निर्देश

12.1 उप जिला/जिला स्तर पर स्वीकृति प्रदत्त आवेदनों के रिकार्ड का संधारण किया जावेगा।

12.2 कृषि आयुक्तालय से उप जिले को आवंटित निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में वर्ष 2024–25 की लम्बित देनदारियों को कम करते हुए ही वर्ष 2025–26 के लिए शेष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण उप जिला स्तर पर करते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें।

12.3 आवंटित लक्ष्यो में मांग/समर्पण, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् के माध्यम से भिजवाने पर ही मुख्यालय स्तर से परिर्वतन किया जा सकेगा।

12.4 वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिले को आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ऐसे कार्य जो पूर्ण हो चुके है एवं जिनका भौतिक सत्यापन किया जा चुका है अर्थात केवल बजट अभाव/पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण भुगतान नहीं हो पाया ऐसे आवेदन ही वित्तीय वर्ष की लम्बित देनदारी में माने जाएंगे।

12.5 योजना के प्रावधान अनुसार उप जिले को आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के मध्यनजर ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे। किसी भी स्थति में संबंधित कार्यालयों को आवंटित वित्तीय प्रावधानों से अधिक प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

12.6 डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी मामले के विवाद में आयुक्त कृषि, जयपुर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। न्यायिक मामलों में क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

12.7 डिग्गी निर्माण पर अनुदान उपरान्त भुगतान किये जाने के साथ लाभान्वित कृषक सूची कृषि आयुक्तालय की ए.सी.पी. शाखा द्वारा विभाग के वेब पोर्टल/जन सूचना पोर्टल पर अपलोड की जावेगी।

12.8 डिग्गी निर्माण का कार्यक्रम यदि किसी अन्य योजना में भी लिया जाता है तो उक्त दिशा–निर्देश उसमें भी लागू होगें।

12.9 जिलों को डिग्गी के आवंटित लक्ष्यों के विरूद अर्जित प्रगति की प्रत्येक माह की सूचना आगामी माह की 3 तारीख तक, संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद द्वारा जल उपयोग प्रकोष्ठ शाखा कृषि आयुक्तालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चितता करेंगे। खडीय अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार), प्रत्येक माह कार्यक्रम की समीक्षा कर खण्ड की प्रगति से मुख्यालय को अवगत करायेगें।

12.10 राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से डिग्गी कार्यक्रम हेतु ऑनलाईन आवेदन 30 सितम्बर 2025 तक प्राप्त किये जाएगें। गत वर्ष के लम्बित आवेदन एवं चालू वर्ष में प्राप्त आवेदनों की प्रशासनिक स्वीकृति 31 अक्टूबर 2025 तक ही जारी की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि बढायी जा सकेगी। आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्न समय सारणी अनुसार किया जाएगा :–

क्र.सं.	आवेदन पत्रावली का निस्तारण	वर्ष 2025–26											
		अप्रेल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1.	ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2.	डॉक्यूमेन्ट स्क्रुटनी (दस्तावेज जांच)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3.	प्रशासनिक स्वीकृति	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4.	पूर्ण कार्य का भौतिक सत्यापन	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[illegible]	[illegible]	✓	✓	[illegible]	✓
5.	वित्तीय स्वीकृति	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[illegible]	✓	✓

Signature valid
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.24 18:18:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14325839

Work Flow Chart

Diggi

Diggi Application Received

⇩ 7 Day

Document Scrutiny Approve

⇩ 10 Day

Pre Verification

⇩ 5 Day

A/S Generated

⇩ 2 Month Maximum

Diggi Construction work Completed by Farmer

⇩ 10 Day

Post Verification

⇩ 10 Day

F/S issue

(चिन्मयी गोपाल)
आयुक्त कृषि

कमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ डिग्गी/2025–26/ 14534-14672 दिनांक : 24/03/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त.....................।
9. निजी सचिव, आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग,इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा ।

Signature valid

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.24 18:18:32 IST
Reason: Approved

13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ ।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/ उद्यान, मु0 जयपुर।
17. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त खण्ड
18. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/ प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन /आदान/ सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
19. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर।
20. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
21. संयुक्त निदेशक सू.प्रौ. एवं संचार विभाग (प्रभारी राजकिसान साथी पोर्टल)
22. उप निदेशक कृषि (सूचना/एनएमओओपी/सांख्यिकी/विस्तार) मु. जयपुर।
23. ए.सी.पी., कृषि आयुक्तालय।
24. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर
25. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी ....

आयुक्त कृषि

Signature valid
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.24 18:18:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14325889